प्रपत्र संख्या - II

उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, **1976** के अधीन खाद्य पदार्थ के लिए जारी लाइसेन्स का प्रपत्र ।
नगरपालिका/नोटीफाइड एरिया/जिला परिषद्/छावनी/रेलवे परिसर

लाइसेन्स संख्या [ ] दिनांक.....

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम **1954** के अधीन निर्मित नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में ।

नाम श्री ..... पुत्र श्री .....
निवासी ..... जिला.....
को एतद् द्वारा विनिर्माता/थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता/फेरी वाला के रूप में दिनांक..... से ..... तक ..... नगरपालिका क्षेत्र/नोटीफाइड/टाउन एरिया/ग्रामीण क्षेत्र/छावनी क्षेत्र/रेलवे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लाइसेन्स शर्तों के अधीन रहते हुए.....
को बेचने, विक्रय हेतु प्रस्तुत करने अथवा विक्रय हेतु जमा करने के लिए लाइसेन्स दिया जाता है।

दिनांक..... लाइसेन्स प्राधिकारी

नोट :- इस लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रत्येक वर्ष **1** मार्च तक दे दिया जाना चाहिए।

लाइसेन्स की शर्तें

1. कारोबार के भू-गृहादि या दुकान, जहाँ पर खाद्य पदार्थ बेचा जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाय या बिक्री के लिए जमा किया जाय, स्वच्छता सम्बन्धी दोषों से मुक्त होना चाहिए और लाइसेन्सधारी कारोबार के भू-गृहादि में ऐसे परिवर्तन करेगा जिसकी लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए।
2. कोई भी लाइसेन्सधारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित नहीं करेगा जो संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित हो।
3. खाद्य पदार्थों का प्रत्येक निर्माता या थोक विक्रेता एक रजिस्टर (प्रपत्र-**IV** में) रखेगा, जिसमें बनाई गई, प्राप्त हुई या बेंची गई वस्तु की मात्रा और अपने विनिर्माणशाला या कारोबार के स्थान से बाहर भेजी गई वस्तुओं के प्रत्येक कन्साइनमेन्ट का गन्तव्य स्थान दिया रहेगा और जब लाइसेन्स प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा इसके निरीक्षण की अपेक्षा की जाए, दिखाना होगा।
4. लाइसेन्सधारी, जो फेरी वाला न हो, एक साइन-बोर्ड अंग्रेजी और हिन्दी में लिखकर लगायेगा, जिसमें उसकी दुकान में बेंची जाने वाली वस्तु का प्रकार प्रमुख रूप से होगा। नोटिस-बोर्ड सदैव अच्छी दशा में रखा जायेगा और दुकान में किसी प्रमुख तथा सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे कि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
5. फेरी वाला जिसे इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स दिया गया हो धातु का बना बिल्ला लगायेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लाइसेन्स संख्या तथा उस पदार्थ का नाम और प्रकार लिखा होगा जिसकी बिक्री के लिये लाइसेन्स दिया गया हो।
6. लाइसेन्सधारी केवल शुद्ध पदार्थ ही बनायेगा या बेचेगा, जिसमें दूसरे पदार्थों का सम्मिश्रण न हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खाद्य-मिश्रण बेंच सकते हैं यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली-**1955** द्वारा उनका बेंचे जाना अन्यथा अनुमोदित हो और उक्त नियमावली के अनुसार उन पर लेबिल लगा हो।
7. लाइसेन्स अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए दिया जायेगा, जो **31** मार्च को समाप्त होगा, और लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र वर्तमान लाइसेन्स की समाप्ति के कम से कम **30** दिन पूर्व देना होगा।
8. घी में तैयार किये जाने वाले मिष्ठान्न, स्वादिष्ट वस्तुओं आदि का कारोबार करने वाले दुकानदार (होटल एवं जलपानगृहों के मालिकों से भिन्न) उसी दुकान में हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति या खाने के तेल में तैयार की गयी मिठाईयाँ आदि नहीं बेचेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति या खाने के तेल में तैयार की जाने वाली मिठाईयाँ आदि का कारोबार करने वाले दुकानदार (होटलों एवं जलपानगृहों के मालिकों से भिन्न) उसी दुकान में घी में तैयार की गई मिठाईयाँ आदि नहीं बेचेगा। इन दुकानों या भू-गृहादि में एक नोटिस-बोर्ड अंग्रेजी और हिन्दी में लिखकर लगाना होगा, जिसमें इच्छुक खरीददारों के सूचनार्थ मिठाईयाँ एवं स्वादिष्ट वस्तुओं के विनिमार्ण में प्रयुक्त माध्यम (घी या तेल/चर्बी) का उल्लेख होगा।
9. लाइसेन्सधारी द्वारा कोई छपा कागज, जिसके अन्तर्गत समाचार-पत्र या कोई रद्दी कागज भी है, पकाये गये खाद्य-पदार्थों को ढँकने या ग्राहकों को परोसने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
10. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली-**1955** के नियम-**50** के उपखण्ड (**1**) के अन्तर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ, जो मानव उपभोग के लिए अभिक्रेत न हों, उसी दुकान या भू-गृहादि में न तो संग्रहीत किये जायेंगे और न ही बेंचे जायेंगे, जिसमें लाइसेन्स के अधीन ऐसे खाद्य पदार्थ संग्रहीत किये जाते हों या बेंचे जाते हों।

नोट :- लाइसेन्स की ये शर्तें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली-**1955** के नियम **49** व **50** में उल्लखित बिक्री एवं लाइसेन्स की शर्तों के अतिरिक्त है।